

पत्रांक : २५६९

दिनांक ०२/११/२०२२

निबंधित डाक

प्रेषक:

प्र० स० अधीक्षक,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास परषद,
पटना।

सेवा में

अंचल अधिकारी, सुप्री,
जिला-सीतामढ़ी।

विषय :-

श्री राधाकृष्ण मंदिर, ग्राम+पोस्ट-ससौला, अंचल+थाना-सुप्री, जिला-सीतामढ़ी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक न्यास परषद के अन्तर्गत निबंधित सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3637 है। इस न्यास की भूमि जिसका थाना संख्या 763, खाता संख्या 563, खेसरा संख्या 1079/4667, 1083, 1084, 1162, 1170, 1172, 1173 एवं 4668 की कुल भूमि 1.26 एकड़ एवं खाता संख्या 544, खेसरा संख्या 1207, 1239, 1240, 1241, 1561, 1591 एवं 1594 की भूमि 1.23 एकड़ भूमि जो श्री राधाकृष्ण महाराज जी के नाम से इन्द्राज है।

उक्त जमीन पर सभी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माण, बिक्रय, बंधक, रेहन या किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण आदि पर परषद द्वारा रोक लगायी गयी है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह दिवानी और आपराधिक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए परषद को सूचित करें।

भवदीय

ह०/-

प्र० स० अधीक्षक,

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परषद,
पटना।

ज्ञापाक :- २५६९

दिनांक :- ०२/११/२०२२

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्र० स० अधीक्षक,

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परषद,
पटना।

ज्ञापांक :- २५६९

दिनांक :- ०२/११/२०२२

प्रतिलिपि :- १. श्री कृष्ण चन्द पाठक, वार्ड संख्या 08, ग्राम+पोस्ट-ससौला, भाया-बडहरवा, जिला-सीतामढ़ी, पिनकोड-843315 2. श्री कुमार राघवेन्द्र सिंह, ससौला हाउस, 26E/45, आशियाना दीघा रोड, पोस्ट-बी० भी० कॉलेज, जिला-पटना, पिनकोड-800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/11/22

प्र० स० अधीक्षक,

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परषद,
पटना।

